

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बल्दरखा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 85/2015

उनवान

1. काना पिता हमीरा कुमावत नि0 बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा _____ (प्रार्थी)

बनाम

1. गंगासिंह पिता भैरू सिंह राजपूत नि0 बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. चेन सिंह पिता चन्द्र सिंह राजपूत नि0 बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. सदभंवर सिंह पिता शिवसिंह राजपूत नि0 बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पिता छीतर कुमावत नि0 बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. भंवर पिता उगमा कुमावत नि0 बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. गोविन्दराम पिता उगमा कुमावत नि0 बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. छीतर पिता श्रीराम गुर्जर नि0 बल्दरखा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा _____ (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 16.05.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 30.11.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम बल्दरखा पटवार क्षेत्र बल्दरखा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 42 के आ0न0 1564, 1565, 1566, 1650/2, 1957/3, कुल किता 5 कुल रकबा 07-19 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बल्दरखा में दिनांक 16.05.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर कोई आपत्ति नहीं होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

ग्राम बल्दरखा पटवार क्षेत्र बल्दरखा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 42 के आ0न0 1564, 1565, 1566, 1650/2, 1957/3, कुल किता 5 कुल रकबा 07-19 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 800/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बल्दरखा में सरे इजलास सुनाया गया।


(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा